कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) बालाघाट

Ph- 07632-241637 Email- wcdbal@nic.in

//विज्ञप्ति//

क्रमांक 729/मबावि/पो.आ./2021 बालाघाट, दिनांक 01/02/2021

मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 154/2079/2020/50–2 दिनांक 20.01.2021 द्वारा जारी संशोधित निर्देशों अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग, बालाघाट के अधीन शहरी क्षेत्र में संचालित आंगनवाडी केन्द्रो/उप आंगनवाडी केन्द्रो में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को पोषण आहार (गरम ताजा पका नाश्ता, भोजन एवं थर्डमिल) प्रदाय के लिए केवल क्रियाशील महिला स्व–सहायता समूहो से जो 3 वर्ष पूर्व से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राज्य शहरी आजीविका मिशन के पंजीकृत महिला स्व–सहायता समूह एवं तेजस्विनी, के तहत पंजीकृत होकर इन समूहों की 3 वर्ष की आधार सीडेड बैंक खाता में बचत राशि शेष हो – से प्रस्ताव/आवेदन पत्र आमंत्रित है।

जिले में संचालित निम्नलिखत बाल विकास परियोजना अंतर्गत निम्नानुसार आंगनवाडी केन्द्र/उप आंगनवाडी केन्द्र संचालित है–

क्रं.	जिले का नाम	परियोजना का नाम	संचालित आंगनवाडी/ उप आंगनवाडी केन्द्र केन्द्र संख्या
1	बालाघाट	बैहर	20
2	बालाघाट	बिरसा	54
3	बालाघाट	बालाघाट शहरी	81
4	बालाघाट	लांजी	17
5	बालाघाट	वारासिवनी	24
6	बालाघाट	कटंगी	15
कुल योग			**211**

पोषण आहार प्रदाय हेतु इच्छुक स्व–सहायता समूह की आवेदन/प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची, चयन प्रक्रिया, पोषण आहार प्रदाय की शर्ते, नाश्ते, भोजन एवं थर्ड मिल का मीनू, निर्धारित दरें, भुगतान, पेनाल्टी आदि पूर्ण विवरण का अवलोकन बाल विकास परियोजना कार्यालय, बैहर, बिरसा, बालाघाट शहरी, लांजी, कटंगी, वारासिवनी में कर सकेंगे।

बाल विकास परियोजना बैहर, बिरसा, बालाघाट शहरी, वारासिवनी, कटंगी तथा लांजी में कार्य करने के इच्छुक स्व–सहायता समूह अपने प्रस्ताव/आवेदन पत्र **दिनांक 10.03.2021** तक संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा करा सकेंगे इस तिथि पश्चात प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। परियोजना अधिकारी द्वारा नियत समय–सीमा में प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन पत्रों पर एक सप्ताह के भीतर समीक्षा की जाकर चयन/अनुमोदन हेतु नस्ति इस कार्यालय को प्रस्तुत की जावेगी।

कलेक्टर
बालाघाट

पृं.क्रमांक 729A/मबावि/पो.आ./2021 बालाघाट, दिनांक 01/02/2021

प्रतिलिपि–
1. संचालक, महिला एवं बाल विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी एन. आई. सी. बालाघाट की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को जिले की वेबसाईड में अपलोड करने सुनिश्चित करें ।
3. जिला जन सम्पर्क, अधिकारी बालाघाट की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, बैहर, बिरसा, लांजी, बालाघाट शहरी, वारासिवनी एवं कटंगी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
बालाघाट

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) बालाघाट

Ph- 07632-241637 Email- wcdbal@nic.in

//दस्तावेजो की सूची//

मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र कमांक 154/2079/2020/50–2 दिनांक 20.01.2021 द्वारा जारी संशोधित निर्देशों अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग, बालाघाट के अधीन शहरी क्षेत्र में संचालित आंगनवाडी केन्द्रो/उप आंगनवाडी केन्द्रो में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को पोषण आहार (गरम ताजा पका नाश्ता, भोजन एवं थर्डमिल) प्रदाय के लिए प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन पत्रों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची–

1. समूह का आवेदन पत्र मय प्रस्ताव के।
2. महिला स्व–सहायता समूह का राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राज्य शहरी आजीविका अथवा तेजस्विनी के तहत पंजीकरण का जीवित प्रमाण–पत्र
3. समूह अध्यक्ष, सचिव, अन्य पदाधिकारी एवं सभी सदस्यों की सूची नाम, पिता/पति के नाम आदि विवरण सहित, मोबाईल नंबर एवं आधार नंबर सहित (सभी के आधार कार्ड की छाया प्रति सलंग्न की जावे)
4. महिला स्व–सहायता में किसी ठेकेदार, व्यवसायी, जन–प्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका इत्यादि से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से संबंद्ध नहीं होने बाबद प्रमाण–पत्र।
5. स्व–सहायता समूह में सदस्यों में से ही रसोईयॉ चयन का कार्यवाही विवरण ।
6. विगत तीन वर्ष के बैंक खाते की स्टेटमेंट (आवेदन दिनांक तक का)
7. समूह का बैंक खाता विगत तीन वर्षो से आधार सीडेड है इस बाबद प्रमाण–पत्र ।
8. समूह का खाद्य एवं औषधि प्रशासन का जीवित लाईसेंस
9. जहॉ पोषण आहार तैयार किया जावेगा ,किचन शेड का पूर्ण पता
10. समूह के पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण जैसे– बर्तन, वाहन, भवन आदि
11. समूह द्वारा संधारित किये जा रहे अभिलेखों का विवरण जैसे कैश बुक, स्टाक रजिस्टर आदि
12. समूह के अधिकृत प्रतिनिधि जिनसे पत्राचार किया जावेगा उनका नाम, पता, पूर्ण विवरण, और ईमेल यदि हो तो।
13. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि समूह कोई दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न चाहते हो तो प्रस्तुत कर सकते है। जिसमें विगत तीन वर्षो में किये गये कार्य, या कार्य अनुभव आदि शामिल हो सकते है।

कलेक्टर
बालाघाट